



2026:AHC-LKO:19278

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 2115 वर्ष 2026**

एम/एस ए०सी०सी० लिमिटेड, द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी

श्री अमिताभ राजत

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,

लखनऊ एवं गोपनीय, लखनऊ एवं एक अन्य

....विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रक्षित राज सिंह, अक्षय कुमार सिंह

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अशोक कुमार वर्मा, वैभव मिश्रा

न्यायालय संख्या-13**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया****अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. श्री जे०एन० माथुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री रक्षित राज सिंह द्वारा सहायतित किया गया, तथा राज्य/विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अरुण कुमार पाण्डेय को, साथ ही श्री वैभव मिश्रा को, जिन्होंने विरोधी पक्ष संख्या 2/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (संक्षेप में "बोर्ड") की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया, अभिलेख पर लिया गया, सुना गया।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन वर्तमान आवेदन निम्नलिखित मुख्य अनुतोष(ओं) के लिए प्रस्तुत किया गया है:-

"(i) दिनांक 01.09.2022 के प्रश्नगत समन आदेश, जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदूषण/सीबी०आई०, लखनऊ द्वारा पारित किया गया (संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न), तथा उससे उत्पन्न सभी परिणामी आदेशों को, परिवाद वाद संख्या 7219/2020 में, जिसका शीर्षक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम/एस ए०सी०सी० लिमिटेड एवं अन्य है और जो वर्तमान में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदूषण/सी०बी०आई०, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है, आवेदक के संबंध में, निरस्त किया जाए।

(ii) परिवाद संख्या 7219/2020, जिसका वाद-शीर्षक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम/एस ए०सी०सी० लिमिटेड एवं अन्य है, की समस्त आपराधिक कार्यवाही को, जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदूषण/सी०बी०आई०, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है, आवेदक के संबंध में, निरस्त की जाए।"

3. प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदूषण/सी०बी०आई०, लखनऊ (संक्षेप में "मजिस्ट्रेट") ने, परिवाद संख्या 7219/2020 (सी०एन०आर० संख्या यूपीएलके04078530-2020) (उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम/एस ए०सी०सी० लिमिटेड एवं अन्य) में, आवेदक अर्थात् एम/एस ए०सी०सी० लिमिटेड के प्रधान अधिकारियों को, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (संक्षेप में "1981 का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम") की धारा 37 के अधीन अपराध के लिए, विचारण का सामना करने हेतु समन किया है।

4. विवादित आदेश से यह प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट ने आवेदक को 1981 के अधिनियम की धारा 21 के उल्लंघन में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने के लिए इस कथन के आधार पर समन किया कि आवेदक, 1981 के अधिनियम की धारा 21 के अधीन अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना, दिनांक 14.12.2020 (परिसर के निरीक्षण की तिथि) को व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित कर रहा था। विवादित आदेश दिनांक 01.09.2022 का प्रासंगिक अंश निम्नवत् उद्धृत किया जाता है :-

"सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में एनेक्शर-01 निरीक्षण आख्या दिनांकित 14.12.2020 की प्रति, एनेक्शर-02 राज्य बोर्ड द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोजन किये जाने हेतु अनुशंसा दिनांकित 22.12.2020 एनेक्शर-03 व 04 से उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत परिवाद दाखिल किए जाने के बाबत बोर्ड द्वारा जारी अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु प्रपत्र आदि दस्तावेज दाखिल किए गए हैं।

उक्त प्रपत्रों के अवलोकन से यह दर्शित है कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं०-01 लगायत 10 द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना उद्योग का संचालन किया गया। अतः प्रथम दृष्टया धारा-21 एवं 31 ए वायु अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन विपक्षी सं०-01 लगायत 10 द्वारा किया जाना दर्शित है। अतः उपरोक्त के आधार पर विपक्षी सं०-01 लगायत 10 को धारा 37 वायु अधिनियम 1981 के तहत तलब किए जाने का आधार पर्याप्त है।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. यह उल्लेखनीय है कि परिवाद बोर्ड द्वारा दो आधारों पर प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि परिवाद के प्रस्तर 3 एवं 4 से प्रतीत होता है, जिन्हें निम्नवत् उद्धृत किया जाता है :-

"3. यह यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विरोधी पक्षों ने परिवादी बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना अपना औद्योगिक संयंत्र स्थापित किया है, जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के प्रावधान का उल्लंघन है।

4. यह कि औद्योगिक संयंत्र के स्थल का निरीक्षण दिनांक 14.12.2020 को बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान संबंधित औद्योगिक इकाई को परिवादी बोर्ड द्वारा जारी सहमति की शर्तों के उल्लंघन में संचालित पाया गया। आगे यह कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान परिसर में धूल कण खुले पाए गए तथा निर्माण सामग्री के चढ़ाने और उतारने के समय धूल कणों को बैठाने हेतु कोई जल छिड़काव यंत्र स्थापित नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 14.12.2020 को इस परिवाद के साथ संलग्नक संख्या-1 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।"

6. दिनांक 01.09.2022 के मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माथुर ने कहा है कि 1981 के अधिनियम की धारा 21 के अधीन अपेक्षित अनुसार बोर्ड से सहमति प्राप्त की गई थी तथा वही सहमति दिनांक 15.12.2018 के सहमति आदेश के माध्यम से और तत्पश्चात दिनांक 05.08.2020 के सहमति आदेश के माध्यम से प्रदान की गई थी।

7. उपर्युक्त के संबंध में, वर्तमान आवेदन के साथ क्रमशः संलग्नक संख्या 5 एवं 6 के रूप में संलग्न दिनांक 15.12.2018 एवं 05.08.2020 के सहमति आदेशों का संदर्भ दिया गया है।

8. उपर्युक्त उल्लिखित आदेशों के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सहमति आवेदक-एम/एस एंसी०सी० लिमिटेड को प्रदान की गई थी और वही दिनांक 14.12.2018 से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

31.07.2020 तक तथा तत्पश्चात 04.08.2020 से 31.03.2022 तक प्रभावी थी। अतः, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सहमति निरीक्षण की तिथि अर्थात् 14.12.2020 को वैध थी।

9. उपर्युक्त पर समुचित विचार करने पर, यह न्यायालय पाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.09.2022 में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। यह निम्नलिखित कारण(ओं) से है :-

(i) परिसर के निरीक्षण की तिथि पर व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने के लिए सहमति वैध थी।

(ii) संबंधित मजिस्ट्रेट ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय दिनांक 14.12.2020 की निरीक्षण आख्या पर विचार नहीं किया है, जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था।

10. उपर्युक्त के आलोक में, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है। दिनांक 01.09.2022 का प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाता है।

11. प्रकरण को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास पुनः प्रेषित किया जाता है, जो अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों, जिनमें उपर्युक्त उल्लिखित सहमति आदेश भी सम्मिलित हैं, का संज्ञान लेते हुए, विधि के अनुसार, प्रकरण में नवसिरे से उपयुक्त आदेश(ओं) को पारित करेगा।

12. यदि सहमति आदेश(ओं) को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो वह बोर्ड द्वारा अभिलेख पर रखे जाएंगे, क्योंकि इस न्यायालय के मत में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व बोर्ड पर यह दायित्व था कि वह बोर्ड के पास उपलब्ध अभिलेख पर विचार करने के पश्चात प्रतिकूल आख्या की सत्यता का प्रथम परीक्षण करे और तत्पश्चात सभी प्रासंगिक दस्तावेजों/साक्ष्यों के साथ परिवाद प्रस्तुत करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. संबंधित मजिस्ट्रेट इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर नया आदेश पारित करेंगे।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

17 मार्च, 2026

एमएल/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।